

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0) (सं0 पटना 480) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-05/2020/4373/लेजः।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पीo सीo चौधरी, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 08, 2020]

बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम—27) का संशोधन करने हेतु अधिनियम । भारत—गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्म।** —(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका प्रसार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तूरंत प्रवृत होगा।
- 2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—14 में संशोधन |—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—
 "14. अधिनियम के तहत देय कर की गणना
 - (क) मालों की विक्रय कीमत पर ऐसी दर से जो पचास प्रतिशत से अनधिक हो ; या
 - (ख) मालों के वजन या मात्रा पर ऐसी दर से जो पचास रूपये प्रति लीटर से अनधिक हो ; या
 - (ग) खंड (क) या (ख) की सम्मिश्रण,
- के आधार पर की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, अधिसूचित करे।"
- 3. निरसन एवं व्यावृत्ति |— (i) बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या—01, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, पीo सीo चौधरी, सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-05/2020/4374/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पीo सीo चौधरी, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 08, 2020]

THE BIHAR TAXATION LAW (AMENDMENT) ACT, 2020

AN ACT

TO FURTHER AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT No. 27, 2005)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows:-

- **1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Bihar Taxation Law (Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005).- Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act shall be substituted by the following, namely:-
 - "14. The tax payable under the Act shall be calculated on the basis of-

- (a) The sale price of the goods at such rate not exceeding fifty percent; or
- (b) The weight or volume of the goods at such rate not exceeding fifty rupees per litre; or
- (c) Any combination of clauses (a) or (b),

as the State Government may, by notification, specify and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification."

- **3. Repeal and Savings.** (i) The Bihar Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.- 1, 2020) is hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar, P. C. CHOUDHARY, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 480-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in